(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 133/2023 जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2023/583

1. हरीराम पुत्र गुलाराम
2. मिश्री पुत्री गुलाराम
3. मेवली पुत्री गुलाराम
4. बनारसी पुत्री गुलाराम
5. नानूड़ी पुत्री गुलाराम
6. चोथमल पुत्र माडुराम
7. जमनाराम पुत्र नरसीराम
8. फुलचन्द पुत्र नरसीराम
9. बृज मोहन पुत्र नरसीराम
10. भोमा देवी पत्नी माडुराम
11. लीलाराम पुत्र नरसीराम
12. शारदा पुत्री नरसीराम
13. सतपाल पुत्र माडुराम
14. दयालाराम पुत्र बेगराज जाति माली निवासीगण लाडी का बास तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

..........................प्रार्थी

– ब ना म –

1. प्रबन्धक बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सिघांना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू (राज.)

..............................अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र धारा 131 भू राजस्व अधिनियम

बाबत रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बाबत

उपस्थित अधिवक्ता :–

प्रार्थीगण की ओर से – श्री महेश सांखला अधि[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:19:01 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :–

दिनांक– 02/8/24

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार रहा कि:–

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1. यह कि वाके ग्राम लाडी का बास पटवार मण्डल थली तहसील बुहाना में स्थित भूमि आम सडक लाडी का बास से सहड जाने वाली पुख्ता सडक के पश्चिमी तरफ ख0 न0 153/45, 42 व 152/45, 45, 44 के मध्य सीमाओं के दोनों तरफ 6 फुट– 6 फुट यानि 12 फुट चौड़ाई में रास्ता मौके पर चालू करके आवेदकगण उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। जो वर्तमान नकल नक्शा किश्तवार ग्राम लाडी का बास तहसील बुहाना में लाल स्याही से डोट डोट लाईनों से दर्ज किया गया है। आम रास्ता पक्की सडक से ख0 न0 43 से जाता है।
2. यह कि आवेदक पत्र के खण्ड नं0 1 में वर्णित रास्ते को नजरी नक्शों में XY मार्क से दर्शाया गया है जो आवेदक के साथ सलग्न है।

अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन हैं

यह कि वाके ग्राम लाडी का बास पटवार मण्डल थली तहसील बुहाना में स्थित भूमि हाल ख0 न0 153/45, 42 व ख0 न0 152/45, 45, 44 के मध्य सीमाओं में दोनों तरफ 6 फुट 6 फुट यानी 12 फुट चौड़ाई का रास्ता जो नक्शा किश्तवार में XY मार्क व नजरी नक्शा में XY मार्क के अनुसार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की कृपा करे।

(2) आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई । अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नही आया वकील प्रार्थी ने सम्बन्धित प्रार्थना पत्र के साथ एल. आर की धारा 131 में प्रार्थना पत्र पेश किया कि सभी काश्तकार सहमत है तथा रास्ता नया नहीं चाहियें अपितु चालु रास्तों को सहमति से राजस्व रिकार्ड में अकंन चाहते है उपस्थित पक्षकारों ने सहमति पेश कि कोई भी ऐतराज पेश नही किया। नायब तहसीलदार सिघांना की रिपोर्ट पत्रांक 291 दिनांक 02.05.2024 की रिपोर्ट भी सलंग्न जिसमें रास्ता सहमति से चाहा गया है। नजरी नक्शा भी पेश है। अतः अभिशषा की जाती है।

(3) न्यायालय द्वारा तहसीलदार बुहाना से मौका रिपोर्ट हेतु पत्रांक 537 दिनांक 11.09.2023 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 993 दिनांक 06.05.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट रही की –

उपखण्ड अधिकारी ... जिला झुंझुनूं (राज.)

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण की आपसी सहमति से रास्ता चाहा गया है। वकील प्रार्थी की बहस, समस्त काश्तकारों की सहमति, मौके पर रास्ता चालू स्थिति, तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर. 131 में स्वीकार किया जाता है। तथा 251 (क) अस्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार बुहाना की मौका रिपोर्ट के अनुसार, आपसी सहमति पर प्रार्थीगण को ग्राम लाडी का बास पटवार मण्डल थली तहसील बुहाना में स्थित भूमि हाल ख0 न0 153/45, 42 व ख0 न0 152/45, 45, 44 के मध्य सीमाओं में दोनों तरफ 6 फुट 6 फुट यानी 12 फुट चौड़ाई का रास्ता रहेगा जो कि गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:19:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

आदेश

''न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम लाडी का बास पटवार मण्डल थली तहसील बुहाना में स्थित भूमि हाल ख0 न0 153/45, 42 व ख0 न0 152/45, 45, 44 के मध्य सीमाओं में दोनों तरफ 6 फुट 6 फुट यानी 12 फुट चौड़ाई का रास्ता सहमति से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। जिसको नजरी नक्शे में लाल सुर्ख से दर्शाया गया है। जिसको रास्ता के लिए दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' के अनुसार दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में ''सार्वजनिक रास्ते'' के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –''अ'' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे''।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 02/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:19:01 IST
Reason: SelfAttested